बिहार विधान सभा सचिवालय से प्राप्त अतारांकित प्रश्न	
श्री सैयद रूकनुद्दीन अहमद, माननीय स०वि०स० द्वारा बिहार विधान सभा में प्राप्त अतारांकित प्रश्न संख्या–536 (पुन–02) के संबंध में। क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना।
प्रश्न	**उत्तर**
क्या यह बात सही है कि पूर्णिया जिला के बायसी विधान सभा अन्तर्गत प्रखण्ड बायसी के ताराबाड़ी, बनगामा, हिरणतोड़, सुगवामहानंदपुर एवं आसजा मोबैया पंचायत में परवान, महानंदा एवं कनकई नदी के कटाव से प्रभावित परिवार को सरकार द्वारा अनुग्रह राशि अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित पंचायतों के प्रभावित परिवारों को कब तक अनुग्रह राशि मुहैया कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	जिला पदाधिकारी, पूर्णिया से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2024 में पूर्णिया जिला के बायसी के ताराबाड़ी, बनगामा, हरिणतोड़, सुगवामहानंदपुर एवं असजा मोबैया पंचायत में परमान, महानंदा एवं कनकई नदी के कारण आयी बाढ़ से कुल–144 परिवारों को गृहक्षति हुई थी, जिसे प्रपत्र–IX में प्रतिवेदित किया गया है। तदोपरान्त सभी प्रभावित परिवारों को आपदा नियमावली के तहत् पॉलीथीन शीट्स एवं गृहक्षति अनुदान की राशि ₹8,000/– प्रति परिवार की दर से कुल राशि ₹11,52,000/– (ग्यारह लाख बावन हजार रूपये) का भुगतान कर दिया गया है।

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक–05/वि0स0–अता0प्र0–06–10/2024/................/आ0प्र0, **पटना–23, दिनांक–**

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव/उप सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके ज्ञाप सं0–2880/वि०स० दिनांक–02.07.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(मो० नदीमुल गफ्फार सिद्दीकी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–05/वि0स0–अता0प्र0–06–10/2024/...2953.../आ0प्र0 **पटना–23, दिनांक**–14-08-2025

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14/8

सरकार के संयुक्त सचिव